प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दाण्डिक अपील क्रमांक 1669/1997

अपीलार्थी: मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़),

लोकायुक्त द्वारा

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी: एल. के. साहू

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन अपील की अनुमति हेतु आवेदन

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के अधीन दाण्डिक अपील

उपस्थित:

श्री आशीष शुक्ला, अपीलकर्ता/राज्य की ओर से अधिवक्ता।

श्री ए. के. प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

<u>मौखिक आदेश</u>

(दिनांक 3 अगस्त, 2012 को पारित)

सुना गया।

2. राज्य द्वारा दायर यह दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील विशेष केस क्रमांक 16/92 में विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09/03/1996 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 7 सहपठित धारा 13 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि संबंधित अवधि में प्रत्यर्थी/अभियुक्त जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर में उद्योग निरीक्षक के पद पर पदस्थ एवं कार्यरत था। शिकायतकर्ता - जेठूराम (अ.स.-8) ने अगस्त, 1990 माह में हॉलर मिल की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृति के लिए जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर में प्रदर्श पी/13 के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन का आगे का केस यह है कि दो माह पश्चात्, अर्थात् अक्टूबर, 1990 में जब शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन की प्रगति जानने हेतु प्रत्यर्थी से संपर्क किया, तब उसे बताया गया कि उसका आवेदन अपूर्ण है और जब तक वह ₹100/- का भुगतान नहीं करेगा, तब तक कोई अनुशंसा नहीं की जाएगी। चूँकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने के लिए इच्छुक नहीं था,

इसलिए उसने प्रदर्श पी/3 के माध्यम से पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता, बिलासपुर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत का पंच साक्षियों - एम.डी. पटेल (अ.स.-5) एवं दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6) द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात् ट्रैप की कार्यवाही आयोजित की गई। ₹100/- के एक करेंसी नोट पर फिनॉल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया। सोडियम कार्बोनेट घोल तथा फिनॉल्फ्थलीन की अभिक्रिया का प्रदर्शन भी पंच साक्षियों एम.डी. पटेल (अ.स.-5) एवं दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6) की उपस्थिति में किया गया। प्रदर्शन का विवरण तथा शिकायतकर्ता को सौंपे गए करेंसी नोट पर फिनॉल्फ्थलीन लगाने संबंधी कार्यवाही को प्रदर्श पी/4 के रूप में तैयार किए गए मेमोरेण्डम में लिपिबद्ध किया गया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी के कार्यालय में ट्रैप बिछाया गया। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि प्रत्यर्थी को दी गई, जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया, और तत्क्षण ही ट्रैप पार्टी मौके पर पहुँच गया। प्रत्यर्थी को रंगे हाथों पकड़ा गया तथा अभियुक्त के पास से ₹100/- बरामद किए गए, जिन्हें प्रदर्श पी/5 के माध्यम से जप्त किया गया। प्रत्यर्थी/अभियुक्त, शिकायतकर्ता तथा साक्षियों के हाथ धुलवाए गए तथा हाथ धुलाई के नमूनों को पृथक-पृथक बोतलों में सुरक्षित कर सीलबंद किया गया। ट्रैप कार्यवाही का पंचनामा भी प्रदर्श पी/7 के रूप में तैयार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 के माध्यम से दर्ज की गई। सामान्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना के उपरांत अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 29.05.1992 के आदेश (प्रदर्श पी/2) द्वारा प्राप्त की गई तथा आ अभियोग -पत्र विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोग-पत्र एवं उसमें निहित सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.1992 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अपराध किए जाने का अभियोग विरचित किये गए। प्रत्यर्थी ने अपना दोष अस्वीकार किया और विचारण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपने केस को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल नौ साक्षियों का परीक्षण कराया है। प्रत्यर्थी द्वारा यह बचाव प्रस्तुत किए जाने के समर्थन में कि प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई राशि ऋण की वापसी के रूप में थी, प्रत्यर्थी ने तीन बचाव साक्षियों का परीक्षण कराया। माननीय विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा यह कहते हुए प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया कि उसके विरुद्ध लगाए गए अभियोग सिद्ध नहीं हुए हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

5. दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय की शुद्धता, वैधता एवं विधिकता को चुनौती देते हुए राज्य की ओर से अधिवक्ता ने पुरज़ोर तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने ठोस, विश्वसनीय तथा निष्कलंक साक्ष्यों के माध्यम से अपराध

के सभी आवश्यक तत्वों–जिसमें मांग, स्वीकार करना तथा बरामदगी सम्मिलित है –को सिद्ध कर दिया है, तथापि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर किसी विश्वसनीय या भरोसेमंद साक्ष्य के अभाव में केवल अनुमान एवं कल्पना के आधार पर अभियुक्त के बचाव की कथा को स्वीकार कर गंभीर त्रुटि की है। राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्क को आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि ऋण की वापसी संबंधी बचाव की कथा पूर्णतः असंभाव्य है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच इस प्रकार का परिचय था कि अभियुक्त शिकायतकर्ता को ऋण प्रदान करता। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि शिकायतकर्ता जेठूराम (अ.स.-8) ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया कि दी गई राशि ऋण की वापसी के रूप में दी गई थी, फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के कुछ अंशों को पृथक रूप से पढ़कर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि शिकायतकर्ता ने ऋण लौटाने के संबंध में कथन किया है। अगला तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि छापे के समय शिकायतकर्ता का मौन रहना तथा अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का तत्काल खंडन न किया जाना, अपने आप में अभियोजन की संपूर्ण कहानी को अविश्वसनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार रिश्वत की मांग को अभियोजन ने लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/3) तथा शिकायतकर्ता जेठूराम के विश्वसनीय कथन के आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। जहां तक स्वीकार करने का प्रश्न है, शिकायतकर्ता जेठूराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने रिश्वत की राशि दी थी और मौके पर ही वह राशि प्रत्यर्थी से बरामद की गई तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट के अनुसार फिनॉल्फ्थलीन परीक्षण भी धनात्मक पाया गया। अतः अपराध के सभी आवश्यक तत्व सिद्ध हो चुके हैं और एक कमजोर एवं असंभाव्य बचाव के आधार पर प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिससे अपराधी दंड से बच निकला है। अंत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित तीन साक्षियों में से जगेश्वर मेश्राम (ब.स.-1) उसी विभाग से संबंधित है तथा अभियुक्त का सहकर्मी है, और कृष्णकुमार साहू (ब.स.-2) एक सिखाया हुआ साक्षी है। अतः ऐसे साक्षियों की गवाही पर भरोसा करके यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उक्त राशि ऋण की वापसी के रूप में प्राप्त की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दोषमुक्ति के निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण पर आधारित है। उनके अनुसार, माननीय विचारण न्यायालय ने केस की महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता की बचाव संभाव्य है। विधि के सही सिद्धांतों को लागू

करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न तो विकृत है और न ही यह लागू एवं स्थापित विधिक सिद्धांतों या अभिलेख पर उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्यों की उपेक्षा करते हुए प्राप्त किया गया है। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को ऐसी अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता जिससे यह कहा जाए कि ऐसा निष्कर्ष संभव ही नहीं था। अतः उनके अनुसार, यदि दो दृष्टिकोण संभव भी हों, तब भी इस न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि स्वयं शिकायतकर्ता की गवाही अत्यंत विरोधाभासी है तथा उस तिथि के संबंध में भी विसंगतियाँ हैं जिस दिन उसने अपीलकर्ता से संपर्क किया था। केस डायरी में दिए गए कथन तथा न्यायालय में दिए गए कथनों में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परस्पर विरोधाभास है। अभियोजन के स्वयं के दस्तावेज (प्रदर्श पी/8) के अनुसार शिकायतकर्ता का आवेदन अभियुक्त को चिन्हित ही नहीं किया गया था और उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा तत्काल दिए गए स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखा है, जिसे अभियोजन के ही साक्षियों एम.डी. पटेल (अ.स.-5) एवं दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6) ने सिद्ध किया है। साथ ही यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति भी है कि जब अभियुक्त ने अपना स्पष्टीकरण दिया, तब शिकायतकर्ता उपस्थित होने के बावजूद उसका खंडन या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवाद नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कृष्णकुमार साहू (ब.स.-2) उद्योग विभाग का कर्मचारी नहीं है और एक स्वतंत्र साक्षी है। साथ ही एस.एस. भगेल (ब.स.-3) के कथन के अनुसार यह स्पष्ट है कि कथित मांग की तिथि को अभियुक्त कार्यालय में उपस्थित ही नहीं था, बल्कि वह किसी जाँच के संबंध में अन्य स्थान गया हुआ था। अंत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि बचाव के कथन का परीक्षण केवल संभावनाओं के बाहुल्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है और बचाव को अपने कथन को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में बचाव के कथन का मूल्यांकन करते समय विधि के सही सिद्धांतों का पालन किया है। अतः प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पूर्व, मैं यह उपयुक्त समझता हूँ कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रामाणिक निर्णयों के आलोक में स्थापित विधिक स्थिति का पहले अवलोकन किया जाए।

8. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप की सीमित परिधि को उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में बार-बार रेखांकित किया है। *घूरे लाल बनाम उत्तर*

प्रदेश राज्य, (2008) 10 एस.सी.सी. 450 के केस में, पूर्ववर्ती अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अपीलीय न्यायालय केवल तभी विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषमुक्ति को निरस्त अथवा उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, जब उसके पास अत्यंत ठोस एवं बाध्यकारी कारण हों, जैसे–

(i) विचारण न्यायालय का तथ्यों के संबंध में निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) विचारण न्यायालय का निर्णय विधि की गलत व्याख्या पर आधारित हो।

(iii) विचारण न्यायालय का निर्णय न्याय के गंभीर विफलता का कारण बनने की संभावना रखता हो।

(iv) साक्ष्यों के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय का समग्र दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः अवैध हो।

(v) विचारण न्यायालय का निर्णय प्रत्यक्ष रूप से अन्यायपूर्ण एवं अविवेकपूर्ण हो।

(vi) विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की उपेक्षा की हो, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को गलत रूप से पढ़ा हो, अथवा मृत्युकालिक कथन या बैलिस्टिक विशेषज्ञ की

रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी की हो।

(vii) उपर्युक्त सूची उदाहरणार्थ है, पूर्णतः सीमित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व एवं सम्मान देना चाहिए। विशेष रूप से यह अवलोकित किया गया कि यदि दो युक्तिसंगत दृष्टिकोण संभव हों–एक जो दोषमुक्ति की ओर ले जाता हो और दूसरा जो दोषसिद्धि की ओर–तो उच्च न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त सुव्यवस्थित विधिक सिद्धांतों को उच्चतम न्यायालय ने *स्टेट ऑफ़ राजस्थान* बनाम शेरा राम उर्फ विष्णु दत्ता, (2012) 1 एस.सी.सी. 602 के केस में निम्न शब्दों में पुनः प्रतिपादित किया हैः–

7. "दोषमुक्ति का निर्णय स्वाभाविक रूप से अभियुक्त को स्वतंत्रता प्रदान करने का परिणाम देता है। इस न्यायालय ने निरंतर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जब तक अपील में दिया गया निर्णय साक्ष्यों के विपरीत, प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण या ऐसा दृष्टिकोण न हो जिसे सक्षम न्यायालय स्थापित दाण्डिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ग्रहण ही न कर सकता हो, तब तक यह न्यायालय ऐसे दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने से विरत रहेगा।"

8. "भारत में दंड विधियाँ मुख्यतः कुछ मौलिक प्रक्रियात्मक मूल्यों पर आधारित हैं, जिनमें निष्पक्ष विचारण का अधिकार तथा निर्दोषता की अनुमानित उपधारणा प्रमुख हैं। किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, और एक बार जब उसे किसी आपराधिक अभियोग से निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, तब वह इस उपधारणा का लाभ प्राप्त करता है, जिसमें केवल वैध और उपयुक्त कारणों से ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को सदैव दोषसिद्धि के विरुद्ध सामान्य अपील से भिन्न माना गया है। जहाँ निर्णय में तथ्यों और/या विधि के संबंध में विकृति परिलक्षित होती है, वहाँ अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के अपनी अधिकारिता के भीतर होगा, अन्यथा ऐसा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय *स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम अब्दुल मन्नान*, (2011) 8 एस.सी.सी. 65 पर भी भरोसा किया, जिसमें दोषमुक्ति के मामलों में अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे को स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है।

10. अतः दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप केवल तभी अनुमेय है जब उसके लिए अत्यंत ठोस एवं बाध्यकारी कारण विद्यमान हों, जिनमें से कुछ का उदाहरण उच्चतम न्यायालय ने *घूरे लाल (पुर्वोक्त)* के केस में अपने निर्णय में दिया है।

11. यद्यपि अभियोजन का यह केस था कि प्रत्यर्थी द्वारा ₹100 की मांग की गई तथा उसने शिकायतकर्ता से उक्त राशि अवैध पारितोषिक के रूप में प्राप्त की, किंतु अभियुक्त ने एक विशिष्ट बचाव प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को ₹100 का ऋण दिया था और वही राशि शिकायतकर्ता द्वारा उसे वापस की गई थी। प्रत्यर्थी के इस विशिष्ट बचाव पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 13 एवं 14 में विचार किया है। विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के स्वयं के कथन को ध्यान में रखा कि उसने लोकायुक्त के अधिकारियों के समक्ष यह कहा था कि अभियुक्त ने उससे कहा था कि उसका आवेदन उचित एवं पूर्ण नहीं है। उसने यह भी कहा था कि वह अपने गाँव के एक अन्य व्यक्ति के साथ अनेक बार खाद्य कार्यालय गया, किंतु उसे खाद्य अनुज्ञप्ति (फूड परमिट) प्राप्त नहीं हो सकी। विचारण न्यायालय ने आगे यह भी ध्यान में रखा कि अभियोजन के दो साक्षियों, पंच साक्षियों–एम.डी. पटेल (अ.स.-5) एवं दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6)–दोनों ने अपनी गवाही में कहा है कि जैसे ही प्रत्यर्थी को पकड़ा गया और उसके पास से ₹100 बरामद हुए, उसने तत्काल यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण दिया कि यह राशि शिकायतकर्ता द्वारा ऋण की वापसी के रूप में उसे दी गई थी। विचारण न्यायालय ने यह भी विचार किया कि दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6) ने यह भी कहा कि जब प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने तत्काल यह स्पष्टीकरण दिया कि ₹100 की राशि उसे शिकायतकर्ता जेठूराम द्वारा ऋण की वापसी के रूप में दी गई थी, तब वहाँ उपस्थित शिकायतकर्ता जेठूराम ने उस स्पष्टीकरण का न तो खंडन किया और न ही उसका प्रतिवाद किया, बल्कि मौन रहा। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के अनुच्छेद 23 में यह कथन कि उसने अभियुक्त को ₹100 वापस किए थे, इसे भी विचारण न्यायालय ने ध्यान में रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान केस में अभियुक्त ने कुल तीन बचाव साक्षियों का परीक्षण कराया है। जगेश्वर मेश्राम (ब.स.-1) जिला उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव के कार्यालय में उद्योग निरीक्षक हैं। उन्होंने अपनी गवाही के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 08-10-1990 को अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को ₹100 की राशि ऋण के रूप में दी गई थी। उस साक्षी को केवल यह सुझाव दिया गया कि ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया था, इसके अतिरिक्त उसकी गवाही में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे उसके कथन पर संदेह उत्पन्न किया जा सके। यह सत्य है कि वह भी उसी कार्यालय में कार्यरत है, किंतु यह देखते हुए कि वह निरीक्षक के

पद पर कार्यरत है, मैं राज्य पक्ष के अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि केवल इसी आधार पर उसकी गवाही को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लिया जाए। जहाँ तक कृष्णकुमार साहू (ब.स.-2) का संबंध है, उन्होंने अपने कथन के अनुच्छेद 1 में कहा है कि घटना के दिन, अर्थात् 15-10-1990 को, जब वह प्रत्यर्थी/अभियुक्त से बातचीत कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति वहाँ आया और ₹100 यह कहते हुए लौटा गया कि "मैं ऋण की राशि वापस कर रहा हूँ", और उसके बाद वह कार्यालय से चला गया। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने यह भी कहा है कि वह अभियुक्त का कोई रिश्तेदार नहीं है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है–और न ही यह उसके प्रतिपरीक्षण अथवा अन्य परिस्थितियों से परिलक्षित होता है–जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कृष्णकुमार साहू (ब.स.-2) एक सिखाया हुआ साक्षी है। एस.एस. बघेल (ब.स.-3) उद्योग निरीक्षक हैं और उन्होंने कार्यालय के अभिलेखों का संदर्भ देते हुए कहा है कि दिनांक 12-10-1990 को प्रत्यर्थी, मेसर्स शंकर पोहा उद्योग से संबंधित एक जाँच के सिलसिले में बिल्हा गया हुआ था। उन्होंने अपने कथन के अनुच्छेद 3 में यह भी कहा है कि दिनांक 12-10-1990 को प्रत्यर्थी कार्यालय नहीं आया था। उन्होंने रिपोर्ट (प्रदर्श डी/2) का भी सत्यापन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोजन ने अभिलेख पर दिनांक 19.12.1990 का पत्राचार (प्रदर्श पी/8) प्रस्तुत किया है, जिसमें जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के महाप्रबंधक ने यह उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 03.09.1990 को प्रस्तुत किया गया आवेदन आगे की कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 10.09.1990 के माध्यम से विकासखण्ड अधिकारी, बिल्हा को प्रेषित कर दिया गया था तथा शिकायतकर्ता जेठूराम का आवेदन प्रत्यर्थी/अभियुक्त को अग्रेषित नहीं किया गया था।

14. यद्यपि शिकायतकर्ता जेठूराम (अ.स.-8) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसने ₹100 की राशि प्रत्यर्थी/अभियुक्त को रिश्वत के रूप में दी थी, किन्तु अपने प्रतिपरीक्षण के अनुच्छेद 23 में उसने राशि लौटाने के संबंध में कथन किया है। उसमें "वापस" शब्द का प्रयोग किया गया है। केस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर विचारण न्यायालय ने भी ध्यान दिया है। दोनों पंच साक्षियों–एम.डी. पटेल (अ.स.-5) एवं दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6)–ने यह कहा है कि जब ट्रैप पार्टी वहाँ पहुंची और प्रत्यर्थी/अभियुक्त के पास से ₹100 बरामद हुए तथा उससे पूछा गया कि यह राशि उसके पास कैसे आई, तब प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने तत्काल यह स्पष्टीकरण दिया कि यह राशि शिकायतकर्ता द्वारा उसे ₹100 के ऋण की वापसी के रूप में दी गई थी। इसके अतिरिक्त, दीपक कुमार श्रीवास्तव (अ.स.-6) ने यह भी कहा है कि जब अभियुक्त ने ट्रैप पार्टी के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उस समय वहाँ उपस्थित शिकायतकर्ता ने मौन धारण किया और उस स्पष्टीकरण का न तो खंडन किया और न ही उसका प्रतिवाद किया।

15. विचारण न्यायालय द्वारा उपर्युक्त साक्ष्यों, परिस्थितियों, स्पष्टीकरण तथा बचाव कथन के आलोक में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसे पूर्णतः असंभाव्य या अस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जहाँ अभियोजन पर अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भारी दायित्व होता है, वहीं अभियुक्त के बचाव की सत्यता की परीक्षा करते समय उसी स्तर के प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जाती। अभियुक्त के बचाव अथवा उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की संभाव्यता का परीक्षण युक्तियुक्त "संदेह से परे सिद्धि" के मानदंड पर नहीं, बल्कि "संभावनाओं के बहुल्यता" के आधार पर किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. *अहेर राजा खीमा बनाम सौराष्ट्र राज्य*, ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 217 के केस में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई अभियुक्त अपने आचरण के संबंध में युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तब भले ही वह अपने कथनों को पूर्ण रूप से सिद्ध न कर सके, तथापि सामान्यतः उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि परिस्थितियाँ यह संकेत न करें कि वे असत्य हैं। रिश्वत के मामलों में यदि अभियोजन यह सिद्ध कर देता है कि अभियुक्त ने राशि स्वीकार

की और वह राशि किसी भी रूप में विधिसम्मत पारिश्रमिक का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो तत्काल एक उपधारणा उत्पन्न होती है। तथापि, अभियुक्त संभावनाओं के बहुल्यता के आधार पर इस भार का निर्वहन कर सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने *महेश प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य*, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 773 तथा *त्रिलोक चंद जैन बनाम दिल्ली राज्य*, 1979 एस.सी. 666 के प्रकरणों में प्रतिपादित किया है। रिश्वत एवं ट्रैप प्रकरणों में साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि के सिद्धांत सामान्यतः निम्न प्रकार से प्रतिपादित किए गए हैं–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क.) अभियोजन के केस को सिद्ध करने का भार सामान्यतः अभियोजन पर ही रहता है, यहाँ तक कि ट्रैप अथवा रिश्वत के मामलों में भी; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 द्वारा यह भार अभियोजन से स्थानांतरित नहीं होता।

(ख.) धारा 4 का प्रयोग सीमित है और यह केवल उस स्थिति में धन ग्रहण करने के उद्देश्य के संबंध में अनुमान उत्पन्न करने हेतु लागू होता है, जब यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त ने धन प्राप्त या स्वीकार किया था।

(ग.) धारा 4 के अंतर्गत अनुमान उत्पन्न करने के लिए भी धन स्वीकार करने या प्राप्त करने की क्रिया स्वेच्छा से, जानबूझकर तथा सजग मन से की गई होनी चाहिए।

(घ.) ऐसे अनुमान के उत्पन्न होने की स्थिति में भी अभियुक्त यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसके पास एक संभाव्य स्पष्टीकरण है तथा किसी अन्य सिद्धांत की संभावनाओं के प्राधान्य के आधार पर वह अनुमान का खंडन कर सकता है।

(ङ.) अभियुक्त को इस अनुमान का खंडन संदेह से परे प्रमाण प्रस्तुत करके करना आवश्यक नहीं है; उसके लिए इतना पर्याप्त है कि वह अपने पक्ष में संभावनाओं के प्राधान्य को स्थापित कर दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(च.) ट्रैप के साक्षियों को सह-अपराधी के रूप में नहीं माना जाता, किन्तु उपयुक्त मामलों में न्यायालय उनके कथनों पर विश्वास करने से पूर्व स्वतंत्र पुष्टिकरण की अपेक्षा कर सकता है। उदाहरणार्थ, *पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य*, ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1191 के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुष्टि होना आवश्यक है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 165- क के प्रवर्तन के पश्चात्, जिसमें रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति को भी रिश्वत देने के अपराध के उकसावे के लिए दोषी ठहराया गया है, शिकायतकर्ता को सह-अपराधी से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता

और अपराध से अभियुक्त को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर पुष्टि का होना आवश्यक है।

17. *पंजाबराव बनाम महाराष्ट्र राज्य*, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 486 के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह सुव्यवस्थित विधिक सिद्धांत स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त किसी कथित राशि की प्राप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तब उसे अपनी बचाव को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह इसे संभावनाओं के बहुल्यता के आधार पर स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार एक अन्य निर्णय *टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य*, 2006 (1) क्राइम्स 75 में यह प्रतिपादित किया गया कि यदि धनराशि प्राप्त करने का कारण स्पष्ट किया गया हो और वह स्पष्टीकरण संभाव्य एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता हो, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विचारण न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन विधि के गलत सिद्धांतों पर आधारित प्रतीत नहीं होता। अभियुक्त की इस बचाव का मूल्यांकन करते समय कि उक्त राशि उसे ऋण की वापसी के रूप में प्राप्त हुई थी, माननीय विचारण न्यायालय ने संभावनाओं के बहुल्यता के सिद्धांत को लागू किया है। इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रूप से विवेचित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा परिस्थितियाँ बचाव को संभाव्य बनाती हैं और उसे

पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता। अतः इस न्यायालय के मत में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभाव्य दृष्टिकोण प्रतीत होता है। यद्यपि राज्य पक्ष के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किया जा सकता है कि अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर कोई अन्य संभाव्य दृष्टिकोण भी लिया जा सकता था, तथापि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रूप से उद्धृत एवं विवेचित विभिन्न निर्णयों के आलोक में केवल इस आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, मैं माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त नहीं हूँ। अतः यह अपील असफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Aditya Mishra